राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/16/4674 दिनांकः 09/05/16

परिपत्र

विषयः— यातायात व्यवस्था में सुधार।

राजस्थान के शहरों में यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एकल पीठ विविध सिविल अपील संख्या 1631/2003 में दिनांक 04.04.2016 को पारित आदेश की अनुपालना में राजस्थान के सभी नगरीय निकायों में निम्नांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे :—

(1) फुटपाथ व मुख्य मार्गो से स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण चिन्हित कर विधि—अनुसार उन्हे हटाने की कार्रवाई करें;

(ख) जहां चार दिवारी क्षेत्र हैं वहां नियत नियमबद्व पार्किंग के अलावा सभी अन्य स्थलों पर पार्किंग निषिद्व करें;

(ग) पैदल यात्रा पथ विकसित करें तथा साइकिल चलन को प्रोत्साहित करें; और

(घ) यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे पेडों, ट्रांसफार्मर्स, डेयरी बूथों इत्यादि को हटाने या सही स्थान पर स्थानान्तरित करने की कार्रवाई करें ताकि उनसे यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं हो।

सभी नगरीय निकायें उपरोक्त निर्देशों का शीघ्रातिशीघ्र पालन किया जाना सुनिश्चित करें एवं इसकी पालना रिपोर्ट भी प्रेषित करें।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/16/4673—4905 दिनांकः 09/05/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

01. पुलिस महानिदेशक/समस्त पुलिस आयुक्त को प्रेषित कर निवेदन है कि अपने अधिनस्थ संबंधित अधिकारियो को उक्त निर्देशो से अवगत करावे ताकि वे इन निर्देशो के पालना में सहयोग करें।
02. समस्त ज़िला कलक्टर्स को प्रेषित कर निवेदन है कि अपने अधिनस्थ संबंधित अधिकारियो को उक्त निर्देशो से अवगत करावे ताकि वे इन निर्देशो के पालना में सहयोग करें।
03. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
04. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशो का पालन किया जाये।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी